न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस

अपील संख्या 52/2016

मनोहरलाल पुत्र गौरीशंकर जाति छिम्पा निवासी वार्ड नं. 11 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।'– रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1975 विरूद्ध आदेश आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपस्थितिः–

श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय :– दिनांक :– 24.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष टीसी से पुख्ता भूमि का आवंटन कराने का प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 4 एसएलडी (नागलिया) ख0न0 1 की 18.02 बीघा, ख0न0 23 की 7 बीघा कुल 25.02 बीघा भूमि उसे आरजी काश्त पर आवंटित है जो पुख्ता आवंटित की जावे । पत्रावली आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश होने पेर अपीलांट को चक 4 एसएलडी के प.न. 89/21 के कि.न. 1 से 15 की 15 बीघा व प.न.89/22 के कि.न. 1,2, 9 से 12, 19 से 22 की 10

24/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बीघा कुल 25 बीघा भूमि आवंटन करने के आदेश दिये । अपीलांट ने अपनी अपील में यह अंकित किया है कि उसका रोही नागलिया के ख.न. 1 में 18.02 बीघा व ख.न. 23 में 7 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है चकबंदी पर बनने पर चक 4 एसएलडी का प.न. 69/13 का कि.न. 5 से 8, 11 से 20, 22 से 25 की 17.10 बीघा व ख.न. 23 का रकबा 4 एसएलडी के प.न.89/29 के कि.न. 1 से 8 कुल 25.10 बीघा में पैमूद हुआ है। यह रकबा अपीलांट को आवंटन करने की हिदायत दी जावे एवं अपीलाधीन आदेश में संशोधन कर मुताबिक टीसी आवंटन व कब्जा काश्त रकबा को आवंटन करने का आदेश पारित किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि जो भूमि अपीलांट को आरजी काश्त पर आवंटित थी उसका समय समय पर नवीनीकरण होता रहा एवं उसी का कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा था लेकिन अधी.न्यायालय ने पुख्ता आवंटन दूसरी भूमि कर कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया है अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

24/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज)

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश सही है अधी.न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच के पश्चात आवंटन किया हैं अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश में आदेश पारित करने की दिनांक अंकित नहीं है अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 02.02.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी मनोहरलाल को ग्राम रोही नागलिया के ख.न. 1 की 18.02 बीघा व ख.न. 23 की 7 बीघा कुल 25.02 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन की गई थी, की पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट की इबारत है कि ' आज यह पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्राथी श्री मनोहरलाल उपस्थित प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी अस्थाई आवंटन भूमि का पुख्ता आवंटन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार विस्तृत मय प्रश्नोतरी ली गई । तहसीलदार से मूल आवंटन पत्रावली तलब कर शामिल फाईल की गई। तहसीलदार द्वारा मूल आवंटन पत्रावली, परिचय प्रमाण–पत्र, प्रश्नोतरी व अन्य कागजात अनुसार प्रार्थी को रोही

24/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज)

नागलिया के खसरा न. 1 की 18.02 बीघा, ख.न. 23 की 7 बीघा कुल 25.02 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन सम्वत् 2042 में हुई । जो आज तक लगातार कब्जा काश्त रहकर नवीनीकरण होती रही है जो आज भी कब्जा में है।' तथा वक्त पुख्ता आवंटन अपीलार्थी का कब्जा काश्त होकर नवीनीकरण होता रहा तथा तहसीलदार की रिर्पोट की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध गिरदावरी रिर्पोट्स से होती है।

अपीलार्थी के पुख्ता आवंटन प्रार्थना पत्र में भी चकबंदी से 4 एसएलडी के ख.न. 1 का 18.02 बीघा व ख.न. 23 के 7 बीघा भूमि कुल 25.02 बीघा भूमि आवंटन का आवेदन पत्रावली पर उपलब्ध है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र व तहसीलदार की रिपोर्ट तथा अस्थाई आवंटन के विपरीत आवंटन अधिकारी द्वारा चक 4 एसएलडी के ख.न. 89/21 कि.न. 1 से 15 में 15 बीघा व प.न. 89/22 के कि.न. 1, 2, 9 से 12 व 19 से 22 में 10 बीघा कुल 25 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन किया गया जो संशोधन योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के अस्थाई आवंटन के अनुसार स्थाई आंवटन का संशोधित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/7/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)